



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in

- 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / यो०ब०-११/२०२०- ३५।

दिनांक :- २७.०६.२०२२

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग/ बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2026-27 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर पी०वी०सी० जाली से निर्मित गमला गैबियन से वृक्षारोपण एवं पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन से वृक्षारोपण तथा गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण कार्य का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल रु० 153.657 लाख (एक करोड़ तिरपन लाख पैंसठ हजार सात सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो०ब०-२५/२०२०-३५/स्वी० व०प० दिनांक-18.03.2021 एवं आवंटन आदेश संख्या-०४/यो० बजट-२५/२०२०-०६/आ० व०प० दिनांक-28.06.2022।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष- 102-समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष-५९-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 153.657 लाख (एक करोड़ तिरपन लाख पैंसठ हजार सात सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110259010103	130.829
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110259010323	22.828
कुल :-		153.657

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1(क से ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2(क से ग) एवं ऑन लाईन उप-आवंटन अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060110259010103 तथा 19S24060110259010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अन्तर्गत शामिल जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

5. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्ग दर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :-

(i) योजनानांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

11. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :—

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020–21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

12. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का रथूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैट्रन पर तैयार करायें।

(VI) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(VIII) कंडिका— VII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(IX) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व रथल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

13. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

14. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान DBT/बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। Cash में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM से की जाएगी।

18. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-झापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समस्मय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

20. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आकड़ा वर्षवार विभागीय वेबसाईट पर फोटो के साथ डाला जाए तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध कराई जाए।

23. (i) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन Gis Photography के साथ कर record में रखें तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(ii) अग्रिम की राशि वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(iii) Master Roll में अन्य ब्यौरा के साथ—साथ बैंक का नाम, Account Number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(iv) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Documents के साथ—साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(v) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(vi) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(vii) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(viii) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75 प्रतिशत होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

m

(ix) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / योबो—11 / 2020—351 दिनांक— 27.06.2022

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/संथाल परगना, दुमका/उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू/हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ हजारीबाग/बोकारो/ पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ हजारीबाग/ बोकारो/ गिरिडीह/मेदिनीनगर/ एनवीस सेन्टर, राँची/पी०एम०य० सेल, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / योबो—11 / 2020—351 दिनांक— 27.06.2022

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ कोडरमा/ हजारीबाग/ बोकारो/रामगढ़/ धनबाद/ गिरिडीह/मेदिनीनगर/ डोरण्डा, राँची/ दुमका/ देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पथरट/संस्थानों आदि की भूमि पर पी0वी0सी0 जाली से निर्मित गमला गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 0 326.85 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			375.88	69.50	445.38
i	ii	iii	iv	v	vi
1	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	1000	3.759	0.695	4.454
2	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	1000	3.759	0.695	4.454
3	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	1000	3.759	0.695	4.454
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	1000	3.759	0.695	4.454
5	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	1000	3.759	0.695	4.454
6	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	1000	3.759	0.695	4.454
7	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	1000	3.759	0.695	4.454
8	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	2000	7.516	1.390	8.906
9	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	1000	3.758	0.695	4.453
योग :-		10000	37.587	6.950	44.537



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।



वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली “आधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पथरतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0 326.85 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			375.88	69.50	445.38
i	ii	iii	iv	v	vi
1	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	2150	8.081	1.494	9.575
2	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	3000	11.276	2.085	13.361
3	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	1000	3.759	0.695	4.454
4	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	1000	3.759	0.695	4.454
5	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	1000	3.759	0.695	4.454
6	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर	1000	3.759	0.695	4.454
7	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	2000	7.518	1.390	8.908
योग :-		11150	41.911	7.749	49.660

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹0 326.85 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेएर में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			13780.00	2182.40	15962.40
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	22.50	3,101	0.491	3.592
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	350.00	48,230	7,638	55.868
योग :-		372.50	51,331	8,129	59.460

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचिता कार्य दर

योजना का नाम— पथरट / संस्थानों आदि की भूमि पर पी०वी०री० जाली से निर्गत — गमला गैबियन वृक्षारोपण

गैबियन का आकार — उपर का व्यास रींग 2'.5''
 बीच का व्यास रींग 2'.0'' एवं नीचे का व्यास रींग
 1'.5'', ऊंचाई — जमीन से उपर 5'.3'' तथा एक
 फीट गहरा जमीन में एवं 9'' की पत्ती मुँही जो
 आगे से कटी हुई है।

स्पेसिंग — पंक्ति रो पंक्ति की दूरी — 3 मी०

कार्य दर — एक गैबियन

पौधे से पौधे की दूरी — 5 मी०

मजदूरी प्रति मानव दिवस: 326.85 रुपये

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	प्रति गैबियन	मानव दिवस	कुल मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	आभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 326.85							
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया०5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया०5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया०5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्पे। मुत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	49.03	4.50	53.53	
2	पटवन (रिवशा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	163.43	5.00	168.43	
3	गैबियन की भरमती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	163.43	60.00	223.43	
	योग		1.15	375.88	69.50	445.38	


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनु०-२(ख)

योजना का नाम— पथरट / संस्थानों आदि की भूमि पर बॉस गैबियन के साथ वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

1. बॉस—गैबियन का आकार: 6'-6" x 2'-6" x 2'-6"
 2. स्पेसिंग — पंक्ति से पंक्ति की दूरी — 3 मी०
 3. मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 326.85 रुपये पौधे से पौधे पर्यंत दूरी — 5 मी०

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाइ	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: रु० 326.85						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरियाँ ग्राम कीटनाशक, द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक, तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक), पत्तों पर लगने वाले कोड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	49.03	4.50	53.53	
2	पटवन (रिवशा/ठेला ढारा)	प्रति गैबियन	0.50	163.43	5.00	168.43	
3	बॉस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	163.43	60.00	223.43	
	योग		1.15	375.88	69.50	445.38	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2(ग)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे0

योजना का नाम- अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण गैर-वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण
पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666
पौधों की दूरी : (3 मी0 x 2 मी0)

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 326.85							
1	एक कोडनी एवं निकौनी	हे0	23.00	7517.55	0.00	7517.55	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा	हे0	12.16	3974.50	0.00	3974.50	
4	गड्ढा धेरान की मरम्मत	हे0	4.00	1307.40	0.00	1307.40	
5	मृत पौधों का प्रतिरक्षापन	हे0	3.00	980.55	290.00	1270.55	
योग :-			42.16	13780.00	2182.40	15962.40	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-11/2020-1/351

दिनांक -

27-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32070	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 03 - मजदूरी	1,503,500.00 रुपये पंद्रह लाख तीन हजार पौँच सौ
2	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32071	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 03 - मजदूरी	375,900.00 रुपये तीन लाख पचहत्तर हजार नौ सौ
3	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32076	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 03 - मजदूरी	375,900.00 रुपये तीन लाख पचहत्तर हजार नौ सौ
				2,255,300.00
योग:				रुपये बाइस लाख पचपन हजार तीन सौ
क्रमिक योग:				(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32078	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV.HZB 03 - मजदुरी	375,900.00 रुपये तीन लाख पचाहत्तर हजार नौ सौ
5	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32079	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D.F.O, BOKARO 03 - मजदुरी	751,800.00 रुपये सात लाख इकावन हजार आठ सौ
6	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32081	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE 03 - मजदुरी	375,900.00 रुपये तीन लाख पचाहत्तर हजार नौ सौ
				1,503,600.00
				3,758,900.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32083	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदुरी	375,900.00 रुपये तीन लाख पचहत्तर हजार नौ सौ
8	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32085	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 03 - मजदुरी	375,900.00 रुपये तीन लाख पचहत्तर हजार नौ सौ
9	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32087	PLMFOR070 SAUMITRA SHUKLA IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 03 - मजदुरी	1,184,000.00 रुपये एकरह लाख चौरासी हजार
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योगः रुपये छप्पन लाख चौरानवे हजार सात सौ				
क्रमिक योगः रुपये छप्पन लाख चौरानवे हजार सात सौ				
(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND				
1,935,800.00				
5,694,700.00				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32089	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 03 - मजदुरी	751,600.00 रुपये सात लाख इकावन हजार छ: सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32091	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदुरी	4,823,000.00 रुपये अडतालीस लाख तेहस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	32094	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 03 - मजदुरी	751,700.00 रुपये सात लाख इकावन हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
<hr/>				
योग:	रुपये एक करोड बीस लाख इक्कीस हजार			6,326,300.00
क्रमिक योग:				12,021,000.00
<hr/>				
(NAND KISHORE SINGH)				
ADDL_PCCF DEV JHARKHAND				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वैतन एवं भत्ते	32096	KDMFORA02 MAHALING D.F.O (S.F.) KODERM/ 03 - मजदूरी	1,061,900.00 रुपये दस लाख इक्सठ हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32101	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	278,000.00 रुपये दो लाख अठहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32103	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	69,500.00 रुपये उनहत्तर हजार पौंच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

३०८

रुपये एक करोड़ चौतीस लाख तीस हजार चार सौ

कल्पिक योगः

1,409,400.00

13.430.400,00

(NAND KISHORE SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32105	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST	रुपये उनहत्तर हजार पौंच सौ 69,500.00
17	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32106	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	रुपये उनहत्तर हजार पौंच सौ 69,500.00
18	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32108	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO	रुपये एक लाख उनचालीस हजार 139,000.00
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योग: क्रमिक योग:				
रुपये एक करोड सैतीस लाख आठ हजार चार सौ 278,000.00				
(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND				
13,708,400.00				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32110	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	रुपये उनहत्तर हजार पौंच सौ
			23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
20	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32111	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	रुपये उनहत्तर हजार पौंच सौ
			23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
21	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32114	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	रुपये उनहत्तर हजार पौंच सौ
			23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

३०५

ਰੁਪਥੇ ਏਕ ਕਰੋੜ ਤਜਚਾਲੀਸ ਭਾਖ ਸੋਲਹ ਹਜ਼ਾਰ ਜੀ ਸੈ

क्रिकेट योगा-

208,500.00

13,916,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL BCSE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32117	PLMFOR070 SAUMITRA SHUKLA IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	218,900.00 रुपये दो लाख अठारह हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
23	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32119	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	139,000.00 रुपये एक लाख उनचालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
24	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32121	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	763,800.00 रुपये सात लाख तीरसठ हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये एक करोड़ पचास लाख अडलीस हजार छ: सौ			1,121,700.00
क्रमिक योग:				15,038,600.00
	(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND			

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित बनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32123	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	139,000.00 रुपये एक लाख उनचालीस हजार

State Scheme : NA
Central Scheme : NA

26	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित बनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	32125	KDMFORA02 MAHALING D.F.O (S.F.) KODERM/	188,100.00 रुपये एक लाख अठ्यासी हजार एक सौ
----	---	-------	---	---

State Scheme : NA
Central Scheme : NA

योगः	रुपये एक करोड तीरपन लाख पैसठ हजार सात सौ	327,100.00
क्रमिक योगः		15,365,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCE DEV JHARKHAND